भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3689

16 जुलाई, 2019 को उत्तरार्थ

विषय: सिंचाई की कार्यप्रणालियों को अपनाना

3689. श्री तेजस्वी सूर्याः

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में सिंचाई की बहाव प्रणाली और ड्रिप प्रणाली अपनाने वाली कृषि भूमि का राज्य-वार प्रतिशत कितना है;

(ख) क्या सरकार ने बहाव सिंचाई की तुलना में ड्रिप सिंचाई के लाभों का विस्तृत अध्ययन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) बहाव सिंचाई के स्थान पर ड्रिप सिंचाई का उपयोग करने से फसल-वार कितनी मात्रा में जल की बचत किए जाने का अनुमान है; और

(घ) ड्रिप सिंचाई के व्यापक उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या पहलें की गई हैं और कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क): देश में निवल बुवाई क्षेत्र 140130 हजार हेक्टेयर और निवल सिंचित क्षेत्र 68385 हजार हेक्टेयर है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, ड्रिप सिंचाई के तहत आने वाला क्षेत्र 4374.53 हजार हेक्टेयर है। निवल सिंचित क्षेत्र और निवल बुवाई क्षेत्र में ड्रिप सिंचाई के तहत क्षेत्र का राज्य-वार प्रतिशत **अनुबंध-I** में दिया गया है।

(ख) एवं (ग): कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा 2014 में मैसर्स ग्लोबल एग्री सिस्टम लिमिटेड के माध्यम से सूक्ष्म सिंचाई योजना का प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन किया गया था। अध्ययन के प्रमुख निष्कर्ष निम्नानुसार हैं:

- सिंचाई की लागत 20% से 50% तक औसतन 32.3% कम हो जाती है।
- बिजली की खपत लगभग 31% कम हो जाती है।
- उर्वरकों की 7% से 42% की सीमा तक बचत होती है।
- फलों और सब्जियों की औसत उत्पादकता लगभग 42.3% और 52.8% तक बढ़ती है।
- किसानों की कुल आय 20% से 68% तक औसतन 48.5% बढ़ जाती है।

ड्रिप सिंचाई सहित सूक्ष्म सिंचाई की जल उपयोग दक्षता काफी अधिक 80 से 95% तक होती है जबकि पारंपरिक बाढ़ सिंचाई में यह केवल 30-50% तक होती है जिसके परिणामस्वरूप ड्रिप सिंचाई के तहत सिंचाई जल की भारी मात्रा में बचत हुई है और यह भारत के विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्रों में अखिल भारतीय समन्वित सिंचाई जल प्रबंधन अनुसंधान परियोजना केन्द्रों द्वारा विभिन्न फसलों पर आयोजित किए गए अनुसंधान अध्ययनों से भी प्रमाणित है। विभिन्न केंद्रों पर बाढ़/सतही सिंचाई की तुलना में ड्रिप सिंचाई से होने वाली जल बचत का ब्यौरा **अनुबंध-II** पर दिया गया है।

(घ): कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग (डीएसीएंडएफडब्ल्यू) प्रधानमंत्री कृषि सिचाई योजना (पीएमकेएसवाई-पीडीएमसी) के प्रति बूंद अधिक फसल घटक को कार्यान्वित कर रहा है, जिसमें खेत स्तर पर सूक्ष्म सिंचाई प्रौद्योगिकियों अर्थात ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली के माध्यम से जल उपयोग दक्षता बढ़ाने पर ध्यान दिया जाता है। । पीएमकेएसवाई-पीडीएमसी के तहत राज्यों को जारी केंद्रीय सहायता का विवरण **अनुबंध-III** में दिया गया है।

इसके अतिरिक्त, यह विभाग प्रेस और प्रिंट मीडिया, पत्र-पत्रिकाओं के प्रकाशन, कार्यशालाओं के आयोजन, प्रदर्शनियों, किसान मेलों, राज्य/भारत सरकार के वेब पोर्टल इत्यादि के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार द्वारा सूक्ष्म सिंचाई के बारे में जागरूकता पैदा करता है। इसके अतिरिक्त, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा देने के लिए किसानों को शिक्षित करने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करता है और कृषि विज्ञान केंद्रों (केवीके) के माध्यम से क्षेत्र स्तर पर प्रदर्शनों का आयोजन करता है।

लो.स.अता.प्र.सं.3689

अनुबंध - I

(हजार है. में)

क्र.सं.	राज्य	निवल बुवाई क्षेत्र*	निवल सिंचित क्षेत्र*	ड्रिप सिंचाई के तहत कवर क्षेत्र**	निवल बुवाई क्षेत्र में से निवल सिंचित क्षेत्र का %	निवल बुवाई क्षेत्र में से ड्रिप सिंचाई क्षेत्र का %
1	आंध्र प्रदेश	6236	2927	1135	46.94	18.20
2	अरुणाचल प्रदेश	225	56	0	24.89	0.00
3	असम	2827	296	0.26	10.47	0.01
4	बिहार	5278	2987	8.7	56.59	0.16
5	छत्तीसगढ़	4681	1466	19	31.32	0.41
6	गोवा	129	39	0.54	30.23	0.42
7	गुजरात	10302	4233	622	41.09	6.04
8	हरियाणा	3522	2974	33	84.44	0.94
9	हिमाचल प्रदेश	550	113	3.5	20.55	0.64
10	जम्मू और कश्मीर	758	331	0.02	43.67	0.00
11	झारखंड	1385	207	20.4	14.95	1.47
12	कर्नाटक	10044	3589	541	35.73	5.39
13	केरल	2043	414	13	20.26	0.64
14	मध्य प्रदेश	15351	9584	303	62.43	1.97
15	महाराष्ट्र	17345	3244	855	18.70	4.93
16	मणिपुर	383	69	0.36	18.02	0.09
17	मेघालय	286	81	0.31	28.32	0.11
18	मिजोरम	145	16	2.2	11.03	1.52
19	नागालैंड	384	97	0.44	25.26	0.11
20	ओडिशा	4474	1259	25	28.14	0.56
21	पंजाब	4119	4118	30	99.98	0.73
22	राजस्थान	17521	7882	179	44.99	1.02
23	सिक्किम	77	12	1.56	15.58	2.03
24	तमिलनाडु	4819	2726	360	56.57	7.47
25	तेलंगाना	4377	1726	192	39.43	4.39
25	त्रिपुरा	255	79	0.44	30.98	0.17
26	उत्तराखंड	700	330	7	47.14	1.00
27	उत्तर प्रदेश	16598	14389	21	86.69	0.13
28	पश्चिम बंगाल	5238	3102	0.8	59.22	0.02
29	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	15	0	0	0.00	0.00
30	चंडीगढ़	1	0	0	0.00	0.00
31	दादर और नागर हवेली	19	4	0	21.05	0.00
32	दमन और दीव	3	0	0	0.00	0.00
33	दिल्ली	22	22	0	100.00	0.00
34	लक्षद्वीप	2	0	0	0.00	0.00
35	पांडिचेरी	16	13	0	81.25	0.00
	कुल	140130	68385	4374.53	48.80	3.12

स्रोत: *भूमि उपयोग सांख्यिकी एक नजर में;2017; अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय डीएसीएण्डएफडब्ल्यू

** निवल सिंचाई क्षेत्र में सरकारी नहरों, निजी नहरों, टैंको, ट्यूब वैल और अन्य स्रोतों से की जाने वाली सिंचाई शामिल है।

#केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के माध्यम से कवर क्षेत्र

लो.स.अता.प्र.सं.3689

अनुबंध - II

अखिल भारतीय समन्वित सिंचाई जल प्रबंधन अनुसंधान परियोजना के विभिन्न केंद्रों पर बाढ़ /सतही सिंचाई की तुलना में ड्रिप सिंचाई के कारण जल की बचत

केन्द्र	फसल	बाढ़/सतही सिंचाई की तुलना में जल की बचत (%)
भवानीसागर	केला	29.7
चिपलिमा	केला	50.1
फैजाबाद	टमाटर	67.8
फैजाबाद	ओकरा	49.5
श्रीगंगानगर	मिर्च	24.1
श्रीगंगानगर	बैंगन	51.7
श्रीगंगानगर	बीटी कपास	19.8
श्रीगंगानगर	करेला	45.4
श्रीगंगानगर	टमाटर	28.7
हिसार	कपास	27.8
हिसार	कपास	40.3
हिसार	गेहूँ	23.0
बिलासपुर	गन्ना	35.0
पालमपुर	आलू	31.3
राहुरी	गन्ना	35.0
श्रीगंगानगर	संकर कपास	25.9
श्रीगंगानगर	बीटी कपास	24.7
हिसार	कपास - खेत पर	28.1
राहुरी	कपास - खेत पर	48.6
श्रीगंगानगर	समर स्कैवश	122.4
शिलांग	स्ट्रॉबेरी	63.0
राहुरी	तरबूज	207.1
राहुरी	गेंदे का फूल	19.2
भवानीसागर	गन्ना	25.0
मुरैना	सोयाबीन	25.1
कोटा	सोयाबीन	16.2
परभणी	हल्दी	20.0
परभणी	तरबूज	20.0
नवसारी	तरबूज	29.2
परभणी	मूंगफली	33.3
मदुरै	मूंगफली	39.0
दापोली	काजू	19.4
पालमपुर	ब्रोकोली	30.0
ग्यासपुर	ग्लेडियोलस	36.6
मदुरै	गन्ना	17.9
चिपलिमा	प्याज	32.0
पालमपुर	स्ट्रॉबेरी	58.6
राहुरी	ग्रीष्मकालीन मिर्च	161.2

लो.स.अता.प्र.सं.3689

अनुबंध - III

पीएमकेएसवाई- पीडीएमसी के तहत जारी राज्यवार केंद्रीय सहायता

रू0 करोड़ में

क्र.सं.	राज्य	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
1	आंध्र प्रदेश	206.47	308.69	517.10	520.00
2	बिहार	28.60	21.60	12.50	27.91
3	छत्तीसगढ़	20.30	44.80	55.00	43.39
4	गोवा	0.30	0.80	0.00	1.20
5	गुजरात	213.05	274.00	300.00	272.50
6	हरियाणा	34.97	27.00	14.01	27.41
7	हिमाचल प्रदेश	7.60	8.50	19.25	26.00
8	झारखंड	14.97	30.70	25.00	10.00
9	जम्मू और कश्मीर	4.87	5.40	3.00	7.80
10	कर्नाटक	213.12	229.00	385.00	372.03
11	केरल	8.53	0.00	25.00	4.00
12	मध्य प्रदेश	161.74	121.10	150.00	132.56
13	महाराष्ट्र	107.26	305.70	362.50	360.00
14	ओडिशा	28.70	39.70	48.00	58.00
15	पंजाब	43.00	1.18	0.00	9.00
16	राजस्थान	142.84	129.00	107.50	168.48
17	तमिलनाडु	129.78	143.50	369.55	355.00
18	तेलंगाना	111.32	189.00	257.00	122.00
19	उत्तराखंड	9.60	15.00	27.20	43.00
20	उत्तर प्रदेश	37.51	41.40	55.00	87.88
21	पश्चिम बंगाल	4.80	19.90	31.00	40.00
22	अरुणाचल प्रदेश	2.60	2.00	8.30	12.50
23	असम	5.03	11.00	3.00	30.00
24	मणिपुर	2.76	3.60	7.50	40.00
25	मेघालय	1.43	0.00	3.30	12.00
26	मिजोरम	3.27	8.10	12.30	27.80
27	नागालैंड	2.34	4.50	11.80	35.00
28	सिक्किम	4.86	5.40	4.00	55.19
29	त्रिपुरा	1.55	0.00	3.75	15.00
30	संघ राज्य क्षेत्र	2.23	0.00	0.50	0.00
31	मुख्यालय	1.33	0.67	1.43	2.73
	सकल योग	1556.73	1991.24	2819.49	2918.38